

कार्यालय नगर परिषद, आदित्यपुर

संकेत संख्या : 1421

दिनांक : 16.9.14

प्रेषित,

मे० दयाल बिन्दर्स

पो० श्री सुरेन्द्र पाल सिंह पिता रं० सरदार गुरुदयाल सिंह (Proprietor of Part Land & P.O.A.H of Land Owner)
Gouri Shankar Road, Jugsalai P.o & P.S-Jugsalai, Jamshedpur.

विषय : पूर्व में पारित भवन प्लान कार्यालय के पत्रांक 695 दिनांक 10.6.13 में Extension करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा श्री सुरेन्द्र पाल सिंह पिता रं० सरदार गुरुदयाल सिंह, श्री सुभाष कंडिया पिता रं० द्वारिका प्रसाद कंडिया एंव गौरी रानी चटर्जी पति रं० घिरेन्द्र नाथ चटर्जी (भूस्वामी) प्लॉट सं० (नया) 1176 (A,B,C), 1177 (A to F), 1178 (A,B), 1189 (A,B,C,D), 1188 & 1187 (A,B,C) खाता सं० (नया) 55,56,87,39,164 & 165 मौजा : दिन्दली थाना सं० 129 में Basement (Parking)+ Lower Ground (Parking + Commercial) + Gr.Floor (Commercial) + 1st to 5th (Residential Cum Commercial) + Partial 6th floor (Commercial) भवन प्लान कि स्वीकृति कार्यालय के पत्रांक 695 दिनांक 10.6.13 के द्वारा दी गयी है। आपके द्वारा Extension भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है जिसमें श्री विश्व नाथ कंडिया पिता रं० खेम करण कंडिया (भूस्वामी) प्लॉट सं० (नया) 1190, 1527 (पुराना) 1707 खाता सं० (नया) 168 (पुराना) 27 मौजा : दिन्दली थाना सं० 129 रकबा 0.05 1/2 एकड़ (पावर ऑफ एटोरनी होल्डर) से प्राप्त अतिरिक्त भूमि सम्मिलित किया गया है। उक्त भवन प्लान का ए०एम०सी० हॉलडींग नं० 44/14-15 कुल रकबा 2189.82 मी० है। भूमि के जॉच के क्रम में प्रस्तावित भूखंडों के बारे में अंचलाधिकारी, गम्हरिया के द्वारा पत्रांक 492 एंव 820 दिनांक 06.6.13 एंव 7.8.14 प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है भूमि का सत्यापन श्री डेविड ओडेया कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। Extension के प्लान का परमिट शुल्क एंव लेवर रोस तथा पूर्व में पारित भवन प्लान का बकाया (2/3) लेवर रोस जमा कर दिया गया है। इरा भवन प्लान के अनुज्ञापिका अमियंता मुकेश कुमार जिनाका निबन्धन सं० AMC-E/21 है। जमीन के कागजात कि जॉच श्री मंगल चन्द्र गाडी कर दरोगा के द्वारा किया गया है। भवन मानचित्र की जॉच, स्थल जॉच एंव तकनीकी जॉच श्री बलीराम पाण्डेय सहायक अभियंता (संविदा पर निष्पत्त) एंव श्री डेविड ओडेया कनीय अभियंता नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा किया गया है तथा जांचोपरांत भवन प्लान पारित करने हेतु अनुशंसा की गई है। तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन अंचलाधिकारी, गम्हरिया का जॉच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण पूर्व में पारित भवन प्लान कार्यालय के पत्रांक 695 दिनांक 10.6.13 के प्लान के अतिरिक्त 6th Floor में 6 अदद आवासिय इकाई Area 465.44 मी के Extension प्लान की औपबधिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर दी जाती है :-

1. भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि भूमि का अंतरण एवं स्वत्वधिकार गलत है तो यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा तथा नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा। किसी भी स्तर पर भवन अनुज्ञापित रद्द करने का अधिकार कार्यपालक पदाधिकारी को सुरक्षित रहेगा।
2. भवन निर्माण से पूर्व झारखण्ड अर्पाटमेन्ट एक्ट की धारा 7.2(a) के तहत स्वामित्व संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा सखन प्राधिकार से संबंधित अनुमति प्राप्त कर लेंगे। उसके संतोषप्रद होने के उपरांत ही यह आदेश मान्य होगा।
3. स्वीकृत भवन मानचित्र के अनुरूप ही भवन निर्माण करना सुनिश्चित करेंगे बिना विधिवत स्वीकृति के संरचना/प्रकृति में विचलन नहीं करेंगे विचलन की स्थिति में बिल्डिंग बॉयलॉज के प्रावधानों के अनुसार उक्त भवन अपसारीत किया जा सकता है तथा संबंधित अनुज्ञापिका अमियंता जो इस कार्य को कर रहे है, उन्हें काली सूची में डाला जा सकता है।
4. भवन निर्माणकर्ता, संबंधित भू-स्वामी तथा अनुज्ञापिका अमियंता, जिनके द्वारा भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है उनके दायित्व होगा कि स्वीकृत भवन प्लान के अनुसार ही भवन निर्माण किया जायेगा। स्वीकृत भवन प्लान में यदि किसी प्रकार का संशोधन करना प्रतित होता है तो भविष्य में कार्यपालक पदाधिकारी को अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वे स्वीकृत भवन प्लान में संशोधन करेंगे।
5. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/राज्यीय मानक की विशेषियों के अनुरूप होगी। निर्माण कार्य एवं संरचना के सही रूपोंकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञापिका अमियंता के साथ-साथ निर्माणकर्ता की भी होगी।
6. भवन निर्माण में भवन के आगे 5.83 (av) मी० पीछे 4.61(av) मी० दाहिने तरफ 4.61 (av) मी० तथा बाये तरफ 4.57(av) मी० छोड़कर भवन का निर्माण कार्य करना होगा तथा भवन की ऊंचाई स्वीकृत 21.28 मी० Ground Coverage 41.48 % F.A.R 2.97 से अधिक नहीं किया जायेगा तथा निर्माणकर्ता को भवन प्लान में दर्शाये गये ड्रेनेज एंव सिस्टम का प्रावधान स्वयं आवश्यक रूप से करना होगा। भवन के सामने छोड़े गये सेट बैंक, भूमि, नगरपालिका के पब्लिक स्ट्रीट के लिये प्रयोग में लाया जा सकेगा। इसपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा। नियमानुसार स्थानिषिपल रोड हेतु भूमि छोड़ना अनिवार्य होगा तथापि भवन के पीछे 25 मी० का निर्धारित स्थल छोड़ना अनिवार्य होगा।
7. सरकार/नगर परिषद को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा भवन का उचित गुणावकाश गुण अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत गुणतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा। साथ ही आयडा/झारखण्ड राज्य आवादा बोर्ड या किसी अन्य प्राधिकार द्वारा मुख्य सड़क तथा भवन स्थल के बीच पड़ने वाले भूमि का अधिग्रहण किया जाना है तो सखन प्राधिकार से उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य करेंगे तथा इसकी सूचना कार्यालय को देंगे साथ ही प्रदूषण, राजकीय पथ तथा हवाई सुरक्षा, संवदी प्राधिकारों से अनुमति प्राप्त कर ससमय उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
8. नगर परिषद के निर्देशानुसार पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। नगर परिषद क्षेत्र में अवस्थित मुख्य नाली से भवन के नाली के संयोजन का दायित्व निर्माणकर्ता तथा अनुज्ञापिका अमियंता का होगा। चूंकि यह एक वृहद संरचना है अतः वर्तमान सार्वजनिक नाली तक विधिवत नियमानुसार नाली की व्यवस्था आपको करनी होगी। किसी भी परिस्थिति में गंदा पानी की निकासी उक्त नाली में नहीं करेंगे तथा आवश्यकतानुसार Sewerage Plant स्थापित करने पर किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा तालाब पीने का पानी आदि दूषित न हो इसकी व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
9. जल उपलब्धता प्रमाण पत्र दस दिनों के अन्दर करेंगे इसका अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृतादेश स्वतः निरस्त माना जायेगा निर्माणकर्ता को समुचित जल आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी परन्तु डीप बोरिंग नहीं करनी होगी। निर्माणकर्ता के द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्नप्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी।

(A) Shallow boaring (B) Rain water harvesting systems (C) Water supply through WS & S.D

10. भूखण्ड के सामने बाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम तथा एन्टीफिर्ला दिशादेश तथा माननीय न्यायालय तथा अन्य प्राधिकार के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए करना अनिवार्य होगा।
11. निर्माण कार्य के क्रम होने की सूचना नगर परिषद आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लान/भूमि ताल पर कार्य होने के पश्चात् इतने दिनों (दस दिनों के अन्दर) करने के बाद ही जल आपूर्ति के लिए सखन प्राधिकार अनुज्ञापिका अमियंता के स्तर के कार्य का विवरण प्रतिवेदन के साथ अन्तर्गत पर जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त अनुपालन नहीं करने पर उक्त स्वीकृति रद्द कर दिया जायेगा।

12. निर्माणकर्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। गवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त 5MVA का जेनरेटर लगाना होगा।
13. प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा तथा अग्निशमन विभाग द्वारा दिये गये निर्देश जो पत्रांक 740 दिनांक 02.05.13 एवं पत्रांक 337 दिनांक 20.8.14 के द्वारा प्रसारित है। साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसारित दिया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस गवन निर्माण के साथ-साथ निम्न अग्निशमक सुविधाएँ देनी होंगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Reel, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबंधित व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।
14. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा तथा इसकी सूचना कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। साथ ही निर्गत प्रासंगिक न्याय निर्देशन के अनुरूप कम से कम 50 प्रतिशत Fly Ash Bricks का प्रयोग करना होगा।
15. भवन निर्माण पूर्ण होने पर नियमानुसार विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ नगर परिषद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना Occupancy Certificate के गवन तथा उसके अंश का प्रयोग न तो भू-स्वामी एवं बिल्डर करेंगे तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति/क्रेता को इसकी दखल देंगे।
16. निर्माणकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी की झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, आदित्यपुर नगर पंच क्षेत्र में विट्टेडिंग वॉयलॉज, JUA C.D.P तथा अन्य सुसंगत सरकारी अधिनियमों/परिपत्रों का पालन करना अनिवार्य होगा। नगरपालिका अधिनियम की धारा 441(ii) तथा 444 का अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा यथा लिफ्ट, डस्टवीन आदि की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। साथ ही धारा 427(v) यदि लागू होता हो तो उसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन देना अनिवार्य होगा। गवन के निर्माण के क्रम में किसी भी प्रकार का दरवाजा तथा खिड़की को इस प्रकार से नहीं बनाया जायेगा, जो सड़क पर, सड़क के उपर खुलता हो।
17. भवन की दूरी भारतीय इलेक्ट्रीक रूल का अनुपालन करते हुये वोल्टेज लाईन से न्यूनतम दूरी का प्रावधान रखना अनिवार्य होगा।
18. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल एवं कुल स्वीकृत प्लैट्स आदि का विवरण देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्राणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
19. City Development Plan/City Sanitation Plan के आधार पर ही भवन का निर्माण कार्य करना अनिवार्य होगा।
20. विकासकर्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड अपार्टमेंट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2011 के अनुकूल विहित सुविधाएँ निर्मित भवन में प्रदान करनी होंगी। निर्माण कार्य के उपरांत भवन की रजिस्ट्री की सूचना कार्यालय को करना अनिवार्य होगा।
21. माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि आदि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जाएगा तथा इस हेतु सक्षम न्यायालय से पूर्वानुमति आवश्यक होगी। अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जाएगा।
22. विधिक राय के अनुसार उक्त भूमि के स्वत्वधिकार, अंशदारी का अधिकार, दखल, छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम के तहत भूमि के हस्तांतरण हेतु सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन किये बिना हस्तांतरण, पहुँच पथ वन भूमि, सरकारी भूमि, Water Bodies संबंधी विवाद उत्पन्न होने पर यह आदेश स्वतः रद्द हो जायेगा। ULCA या कृषि भूमि से संबंधित अनुमति आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। ULCA का अनुपालन तथा कृषि भूमि की स्थिति में यह अनुमति स्वतः रद्द माना जायेगा। सरकारी/स्थली तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
23. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार के विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे इसके लिए प्राधिकार किसी प्रकार से जिम्मेवार नहीं होगा। यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा तथ्यों को छुपाकर भवन संबंधित परमिट प्राप्त किया गया है तो बिना किसी कारण बताये नगर परिषद, आदित्यपुर को यह अधिकार होगा कि उक्त आदेश को निरस्त कर देंगे।
24. भविष्य में सरकार द्वारा या माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भवन के संरचनात्मक परिपेक्ष्य आदि के संबंध में कोई भी प्रतिकूल आदेश/निर्देश/आदेश प्रमाणित होगा एवं यह स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
25. भवन में समुचित क्षमता का तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।
26. सेवाकर एवं वाणिज्य कर संबंधित आवश्यक राशि सक्षम प्राधिकार को जमा करना होगा। जिसकी सूचना कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।
27. परमिट निर्गत होने के तीन साल के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पूनः अनुमति प्राप्त करना होगा। जिसके लिए विहित शुल्क देना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर उक्त प्लान के कारण किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का संचालन होता है तो उक्तके लिए नगर परिषद, आदित्यपुर दायी नहीं होगा तथा उक्त वाद के कारण नगर परिषद, आदित्यपुर की होने वाले सम्पूर्ण खर्च का वहन आवेदक के द्वारा किया जायेगा।
28. गवन निर्माण से पूर्व डेवलपर्स प्लान को पंजीकृत कराकर उपस्थापित करना अनिवार्य होगा।
29. गवन निर्माण के क्रम में यदि अनुज्ञापिधारी अनियंता को बदला जाता है तो इसकी सूचना कार्यालय को 48 घंटे के अन्दर देनी होगी तथा उक्त सूचना के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था द्वारा कीर्तीय संपोषण से पूर्व अपने रतार से तथ्यों की जाँच आवश्यक रूप से की जानी होगी। किसी भी प्रकार के वित्तीय घाटे के लिए नगर परिषद जिम्मेदार नहीं होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समग्र रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्द होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

ज्ञापक 1421

प्रतिलिपि : श्री मुकेश कुमार अनुज्ञापिधारी अनियंता को सूचनाार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि झारखण्ड न्यूनतमिडन एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यपालक प्रवक्ता
नगर परिषद, आदित्यपुर
13.9.14
दिनांक 16.9.14
13.9.14